N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT — P.S. (थाना): C.P.S Jaipur — Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0182 — Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 12/07/2025 20:15 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7(a)
3	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	12

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): दरमियानी दिन — Date From (दिनांक से): 09/07/2025 — Date To (दिनांक तक): 10/07/2025

Time Period (समय अवधि): पहर — Time From (समय से): 11:00 बजे — Time To (समय तक): 12:23 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 12/07/2025 — Time (समय): 19:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 — Date & Time (दिनांक एवं समय): 12/07/2025 20:15:19 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): NORTH, 1 किमी — Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): MD COLLEGE OF EDUCATION, HANUMANGARH JUNCTION

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): — District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):
   (a) Name(नाम): GOPAL SINGH SOLANKI
   (b) Father's Name (पिता का नाम): JEEWAN SINGH
   (c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1983 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
   (e) UID No(यूआईडी सं.):
   (f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
   Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):
   (g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

   (h) Occupation (व्यवसाय):
   (i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	CHAK ASARASAR, LUNKARANSAR, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	CHAK ASARASAR, LUNKARANSAR, BIKANER, RAJASTHAN, INDIA

   (j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	PANKAJ CHHABRA		पिता:DEVARAM	1. HOUSE NUMBER 02/97,RHB COLONY,HANUMANGARH JUNCTION,HANUMANGARGH JN.,HANUMANGARGH,RAJASTHAN,INDIA
2	RONAK VIJAY		पिता:SURESH VIJAY	1. 7,AGRA ROAD,BASANT VIHAR,JAIPUR,JAIPUR CITY (EAST),RAJASTHAN,INDIA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये	10000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा	10,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामे श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ़ विषय - रिश्वत की मांग करने वाले M.D कॉलेज फैकल्टी के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत। महोदय जी, मैं प्रार्थी गोपालसिह सोलंकी पुत्र श्री जीवनसिह जाति राजपूत उम्र-42 वर्ष निवासी चक असरासर पोस्ट-अर्जुनसर तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर हूं। मेरी पुत्री मोनिका कंवर का एडमिशन सत्र 2023-24में B.ed पाठ्यक्रम में मैनें हनुमानगढ़ जक्शंन स्थित M.D कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ में प्रथम वर्ष B.ed में करवाया था। प्रवेश के वक्त M.D कॉलेज में मुझे पंकज छाबड़ा मिला था जो स्वंय को कॉलेज प्रभारी बता रहा था एंव मेरी पुत्र मोनिका कंवर की प्रवेश संबंधी दस्तावेजी कार्य भी पंकज छाबड़ा ने ही किए थे। एडमिशन के बाद पंकज छाबड़ा ने मुझे कहा कि इस कॉलेज का समस्त कामकाज प्रभारी के तौर पर मैं ही संभालता हूं फिर उसने कहा कि आपकी पुत्री मोनिका कंवर को रेगुलर कॉलेज में आने की आवश्यकता नहीं है ये सिर्फ परीक्षाए देने आ सकती है तथा इसके लिए हम प्रति छात्र 50,000/-रूपये लेते है परन्तु आप एडवोकेट हो इसलिए आप सिर्फ 30000/-रूपये दोनों वर्षों के हमे दे दो जिस पर मैंने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा मेरी पुत्री रेगुलर कॉलेज आ जाएगी, जिस पर पंकज छाबड़ा ने कहा कि पैसे नही दो गे तो आपकी बेटी की उपस्थिति कम कर देंगे और उसे प्रायोगिक परीक्षाओं में फेल करवा देंगे इस प्रकार पंकज छाबड़ा ने डराकर मुझ पर दबाव बनाया जिस पर मैंने मेरी पुत्री मोनिका के भविष्य के लिए पंकज छाबड़ा के दबाव में उसे तीन किश्तों में जरिये फोन पे एप कुल 18000/-रूपये भेज दिए जिसके बाद मेरी पुत्री मोनिका कंवर ने अपनी B.ed प्रथम वर्ष की परीक्षाएं दी तथा वर्तमान में उसकी B.ed द्वितीय वर्ष की लिखित परीक्षाएं हो चुकी है। दिनांक 04.07.2025 को मेरी पुत्री मोनिका कंवर अपनी प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने M.D कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ गई थी तब पंकज छाबड़ा ने मेरी पुत्री को प्रायोगिक परीक्षा में बैठने से मना कर दिया और उसे कहा कि आपके पिता से बोलो कि मुझे बकाया 12000/-रूपये दे तभी मैं तुम्हे प्रायोगिक परीक्षा में बैठने दूंगा जिसके बाद करीब 30 मिनट इन्तजार करवाने के बाद पंकज छाबड़ा ने मेरी पुत्री मोनिका को प्रायोगिक परीक्षा में बैठने दिया और परीक्षा के बाद मोनिका को पकंज छाबड़ा ने कहा कि बकाया 12000/-रूपये लेकर आना तभी तुम्हे अगली 10.07.2025 की प्रायोगिक परीक्षा में बैठने दूंगा वरना फैल करवा दूंगा। मैने पकंज छाबड़ा को जरिये फोन पे नंबर[redacted] पर दिनांक 26.02.2024 को 8000/-रूपये तथा दिनांक 13.11.2024 को 5000/-रूपये भेजे, फोन पे नंबर 8560861310 पर दिनांक 12.02.2025 को 5000/-रूपये भेजे थे। श्रीमान् जी पकंज छाबड़ा डण्क् कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ में बतौर फैकल्टी रहते हुए लोकसेवक के तौर पर मेरी पुत्री मोनिका कंवर की उपस्थिति पूरी करने , उसको प्रायोगिक परीक्षाओं में फेल नहीं करने व अच्छे नंबर देने की एवज में मुझसे 12000/-रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है, मैं मेरी पुत्री के जायज काम के बदले लोकसेवक पंकज छाबड़ा डण्क् कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ को रिश्वत के 12000/-रूपये नहीं देना चाहता हूं अपितु पंकज छाबड़ा को 12000/-रूपये रिष्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मैंने इतने दिन पंकज छाबड़ा की शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे पंकज छाबड़ा द्वारा B.ed के दौरान मेरी पुत्री मोनिका कंवर को मानसिक रूप से परेशान किए जाने का भय था, मेरी पंकज छाबड़ा से पूर्व से कोई रंजीश नहीं है व ना ही उससे पैसों का कोई लेन देन शेष है, रिपोर्ट देता हूं कृपया उचित कानूनी कार्यवाही करें। दिनांक 09-07-2025 प्रार्थी -एसडी- गोपाल सिह सोलंकी पुत्र श्री जीवन सिह सोलंकी उम्र-42 वर्ष जाति-राजपूत निवासी चक असरासर तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर डवइ.[redacted] कार्यवाही पुलिस दिनांक 09.07.2025 को वक्त 11.00 एएम प्रमाणित किया जाता है कि परिवादी श्री गोपाल सिह सोलंकी पुत्र श्री जीवन सिह सोलंकी उम्र-42 वर्ष जाति राजपूत निवासी चक असरासर तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर ने ब्यूरो कार्यालय

हनुमानगढ़ में उपस्थित होकर परिवादी श्री गोपाल सिह सोलंकी ने एक लिखित प्रार्थना पत्र श्रीमती सुधा पालावत अति. पुलिस अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया किया जिन्होने प्रार्थना पत्र वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। परिवादी गोपालसिह सोलंकी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अवलोकन किया गया। परिवादी ने प्रार्थना पत्र स्वंय द्वारा हस्तलिखित होना बताया व उस पर अपने स्वंय के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने दरियाफ्त पर बताया कि मेरी पुत्री मोनिका कंवर का एडमिशन सत्र 2023-24में बी.एड. पाठ्यक्रम में मैनें हनुमानगढ़ जक्शंन स्थित एम.डी. कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ में प्रथम वर्ष बी.एड़ में करवाया था। प्रवेश के वक्त एम.डी. कॉलेज में मुझे पंकज छाबड़ा मिला था जो स्वंय को कॉलेज प्रभारी बता रहा था एंव मेरी पुत्र मोनिका कंवर की प्रवेश संबंधी दस्तावेजी कार्य भी पंकज छाबड़ा ने ही किए थे। एडमिशन के बाद पंकज छाबड़ा ने मुझे कहा कि इस कॉलेज का समस्त कामकाज प्रभारी के तौर पर मैं ही संभालता हूं फिर उसने कहा कि आपकी पुत्री मोनिका कंवर को रेगुलर कॉलेज में आने की आवश्यकता नहीं है ये सिर्फ परीक्षाएं देने आ सकती है तथा इसके लिए हम प्रति छात्र 50,000/-रूपये लेते है परन्तु आप एडवोकेट हो इसलिए आप सिर्फ 30000/-रूपये दोनों वर्षो के हमे दे दो जिस पर मैंने कहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा मेरी पुत्री रेगुलर कॉलेज आ जाएगी, जिस पर पंकज छाबड़ा ने कहा कि पैसे नही दो गे तो आपकी बेटी की उपस्थिति कम कर देंगे और उसे प्रायोगिक परीक्षाओं में फेल करवा देंगे इस प्रकार पंकज छाबड़ा ने डराकर मुझ पर दबाव बनाया जिस पर मैंने मेरी पुत्री मोनिका के भविष्य के लिए पंकज छाबड़ा के दबाव में उसे तीन किश्तों में जरिये फोन पे एप कुल 18000/-रूपये भेज दिए जिसके बाद मेरी पुत्री मोनिका कंवर ने अपनी बी.एड़ प्रथम वर्ष की परीक्षाएं दी तथा वर्तमान में उसकी बी.एड़ द्वितीय वर्ष की लिखित परीक्षाएं हो चुकी है। दिनांक 04.07.2025 को मेरी पुत्री मोनिका कंवर अपनी प्रायोगिक परीक्षा में शामिल होने एम.डी. कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ गई थी तब पंकज छाबड़ा ने मेरी पुत्री को प्रायोगिक परीक्षा में बैठने से मना कर दिया और उसे कहा कि आपके पिता से बोलो कि मुझे बकाया 12000/-रूपये दे तभी मैं तुम्हे प्रायोगिक परीक्षा में बैठने दूंगा जिसके बाद करीब 30 मिनट इन्तजार करवाने के बाद पंकज छाबड़ा ने मेरी पुत्री मोनिका को प्रायोगिक परीक्षा में बैठने दिया और परीक्षा के बाद मोनिका को पकंज छाबड़ा ने कहा कि बकाया 12000/-रूपये लेकर आना तभी तुम्हे अगली 10.07.2025 की प्रायोगिक परीक्षा में बैठने दूंगा वरना फैल करवा दूंगा। मैने पकंज छाबड़ा को जरिये फोन पे नंबर [redacted] पर दिनांक 26.02.2024 को 8000/-रूपये तथा दिनांक 13.11.2024 को 5000/-रूपये भेजे, फोन पे नंबर 8560861310 पर दिनांक 12.02.2025 को 5000/-रूपये भेजे थे। श्रीमान् जी पकंज छाबड़ा एम.डी. कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ में बतौर फैकल्टी रहते हुए लोकसेवक के तौर पर मेरी पुत्री मोनिका कंवर की उपस्थिति पूरी करने , उसको प्रायोगिक परीक्षाओं में फेल नहीं करने व अच्छे नंबर देने की एवज में मुझसे 12000/-रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है, मैं मेरी पुत्री के जायज काम के बदले लोकसेवक पंकज छाबड़ा एम.डी. कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ को रिश्वत के 12000/-रूपये नहीं देना चाहता हूं अपितु पंकज छाबड़ा को 12000/-रूपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूं। मैंने इतने दिन पंकज छाबड़ा की शिकायत इसलिए नहीं की क्योंकि मुझे पंकज छाबड़ा द्वारा बी.एड़ के दौरान मेरी पुत्री मोनिका कंवर को मानसिक रूप से परेशान किए जाने का भय था, मेरी पंकज छाबड़ा से पूर्व से कोई रंजीश नहीं है व ना ही उससे पैसों का कोई लेन देन शेष है, रिपोर्ट देता हूं कृपया उचित कानूनी कार्यवाही करें। परिवादी श्री गोपाल सिह सांलकी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों व परिवादी से पुछताछ में मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का बनना पाया गया। परिवादी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का गोपनीय सत्यापन करवाया जाकर अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। परिवादी के प्रार्थना पत्र व परिवादी श्री गोपाल सिह सोलंकी के आधार कार्ड की प्रति व परिवादी की पुत्री की बी.एड़ प्रथम वर्ष की मार्कशीट की प्रति व बी.एड़ द्वितीय वर्ष की परीक्षा एड़मिट कार्ड की प्रति को शामिल पत्रावली किया गया। समय 12.30 पीएम पर परिवादी श्री गोपाल सिह सोलंकी को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन के बारे में पूछने पर उन्होने स्वीकृति प्रदान की, परिवादी गोपाल सिह सोलंकी से ब्युरो के श्री विनय विशाल कानि. 576 का आपसी परिचय करवाया गया तथा परिवादी श्री गोपालसिह सोंलकी को रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर को चलाने व बंद करने की विधि की समझाईश की गई, जरिये फर्द सुपुर्दगी डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत कर परिवादी गोपाल सिह सोलंकी व श्री विनय विशाल कानि. 576 को एम.डी. कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ की तरफ रवाना किया। समय 01.05 पीएम पर परिवादी श्री गोपाल सिह सोलंकी व श्री विनय विशाल कानि0 गोपनीय सत्यापन में गए हुए ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये व श्री विनय विशाल कानि0 ने बंद डी.वी.आर. मुझे सुपुर्द कर बताया कि मैं व गोपाल सिह सोलंकी परिवादी ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर एम.डी. कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ के पास पहुचें, जहां मैने परिवादी को ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर एम.डी. कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ की तरफ रवाना किया मैं गोपनीय रूप से बाहर ही रूक गया था कुछ समय बाद परिवादी गोपाल सिह सोलंकी वापिस आया व डी.वी.आर. सुपुर्द किया जिसे मैने बंद किया व परिवादी को हमराह लेकर उपस्थित आया हूं। परिवादी श्री गोपाल सिह सोलंकी ने बताया कि मैं व श्री विनय जी ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर एम.डी. कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ के पास पहुंचे जहां पर श्री विनय जी ने मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर एम.डी. कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ की तरफ रवाना किया था श्री विनय जी

बाहर ही रूक गये थे। मै कॉलेज में गया तो वहां पर श्री पंकज छाबड़ा उपस्थित नहीं मिले जिनसे वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड के फोन से पंकज छाबड़ा से वार्ता की तो उसने बताया की आज बरसात ज्यादा होने के कारण मै अपने गांव आ गया हूं आप कल सुबह 8 बजे आ जाना, फिर मैं कॉलेज से बाहर आकर श्री विनय जी से मिला उन्होने मुझसे सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया और फिर वहां से रवाना होकर उपस्थित आये है। ब्यूरो के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर (डी.वी. आर.) को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया की सुबह मेरी बेटी कि प्रायोगिक परीक्षा सुबह 8 से 10 बजे तक है जब मैं उसे छोडने जाउंगा तब उससे रिश्वत मांग संबधी वार्ता करूगां और जब बेटी को वापिस लेने जाउंगा तब वह मुझसे रिश्वत लेगा। इस पर परिवादी श्री गोपाल सिह सोलंकी को आवश्यक हिदायत दी गई, हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। समय 01.15 पीएम पर परिवादी श्री गोपाल सिह सोलंकी को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया, विनय विशाल कानि. को आवश्यक हिदायत दी गई। समय 01.45 पीएम परिवादी ने बताया की कि रिश्वत मांग सत्यापन के तुरंत बाद ही 10 बजे तक रिश्वत आरोपी को देनी होगी इस कारण गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता होने पर जरिये तहरीर देकर श्री रामजस कानि. व श्री ओमप्रकाश कानि. को जरिये सरकारी वाहन से गवाह पाबन्द करवाने हेतु संयुक्त निदेशक जिला कार्यालय सूचना प्रोद्योगिकी एंव संचार विभाग हनुमानगढ़ के लिए रवाना किया गये। समय 02.45 पीएम पर श्री रामजस कानि. व श्री ओमप्रकाश कानि. जिला कार्यालय सूचना प्रोद्योगिकी एंव संचार विभाग हनुमानगढ से वापिस आये व अवगत करवाया की श्री संदीप कुमार भाटी सूचना सहायक व श्री अनिल कुमार सोनी सूचना सहायक को सुबह 8.30 बजे ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने हेतु पाबन्द करवा दिया गया है । दिनांक 10.07.2025 समय 07.30 एएम पर परिवादी श्री गोपाल सिह सोलंकी ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आया।समय 07.45 एएम पर परिवादी गोपाल सिह सोलंकी व श्री विनय विशाल कानि. 576 को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग का गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु आवश्यक हिदायत कर एम.डी. कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ की तरफ रवाना किया।समय 08.25 एएम पर परिवादी श्री गोपाल सिह सोलंकी व श्री विनय विशाल कानि0 गोपनीय सत्यापन में गए हुए ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये व श्री विनय विशाल कानि0 ने बंद डी.वी.आर. मुझे सुपुर्द कर बताया कि मैं व गोपाल सिह सोलंकी परिवादी ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर परिवादी के रिश्तेदार के घर पहुंच वहां से परिवादी की बेटी को हमराह लेकर एम.डी. कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ के पास पहुचें, जहां मैने परिवादी को ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को सुपुर्द कर, परिवादी व परिवादी की बेटी को एम.डी. कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ की तरफ रवाना किया मैं गोपनीय रूप से बाहर ही रूक गया था कुछ समय बाद परिवादी गोपाल सिह सोलंकी वापिस आया व डी.वी.आर. सुपुर्द किया जिसे मैने बंद किया व परिवादी ने बताया की आरोपी द्वारा मेरे से 17500/-रूपये रिश्वत की मांग की मेरे द्वारा कुछ कम करने का कहने पर 12500/-रूपये मांगे और मेरे से 2000/-रूपये ले लिये व 10000/-रूपये लेकर मुझे 11 बजे तक बुलाया है इस पर परिवादी को हमराह लेकर उपस्थित आया हूं। परिवादी श्री गोपाल सिह सोलंकी ने बताया कि मैं व श्री विनय जी ब्यूरो कार्यालय से रवाना होकर मेरे रिश्तेदार के घर से मेरी बेटी मोनिका कंवर को साथ लेकर एम.डी. कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ के पास पहुंचे जहां पर श्री विनय जी ने मुझे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर सुपुर्द कर दिया फिर मैं व मेरी बेटी एम.डी. कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ की तरफ रवाना हुए श्री विनय जी बाहर ही रूक गये थे। मै कॉलेज में गया तो वहां पर श्री पंकज छाबड़ा उपस्थित मिला जिसने मेरे से 17500/-रूपये रिश्वत की मांग की मेरे द्वारा कुछ कम करने का कहने पर 12500/-रूपये मांगे और मेरे से 2000/-रूपये ले लिये व 10000/-रूपये लेकर मुझे 11 बजे तक बुलाया है, फिर मैं कॉलेज से बाहर आकर श्री विनय जी से मिला उन्होने मुझसे सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया और उन्हे मैने उक्त बात बतायी फिर वहां से रवाना होकर उपस्थित आये है। इस पर सुपुर्दशुदा डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चलाकर सुना तो परिवादी के बताये तथ्यों की ताईद हुई। आरोपी द्वारा रिश्वत मांग के स्पष्ट तथ्य आये अग्रिम आवश्यक कार्यवाही आज ही की जायेगी इस कारण आईन्दा ट्रान्सक्रिप्ट तैयार की जायेगी, डीवीआर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपने पास सुरक्षित रखा, हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये गये। समय 08.40 एएम पर पाबन्दशुदा जिला कार्यालय सूचना प्रोद्योगिकी एंव संचार विभाग हनुमानगढ से श्री संदीप कुमार भाटी सूचना सहायक व श्री अनिल कुमार सोनी सूचना सहायक ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आये। दिंनाक 10.07.2025 समय 10.20 एएम पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित श्री संदीप कुमार भाटी सूचना सहायक व श्री अनिल कुमार सोनी सूचना सहायक को मन् पुलिस निरीक्षक के समक्ष बुलवाया जाकर परिवादी श्री गोपाल सिह सोलंकी से आपसी परिचय करवाया गया व परिवादी श्री गोपाल सिह सोलंकी के प्रार्थना पत्र के तथ्यों से अवगत करवाया गया जिन्होने स्वेच्छा से स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति देने पर उन्हे कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह शामिल किया गया। परिवादी श्री गोपाल सिह सोलंकी पुत्र श्री जीवन सिह सोलंकी उम्र-42 वर्ष जाति राजपूत निवासी चक असरासर तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर ने आरोपित श्री पंकज छाबड़ा को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पांच-पांच सौ रूपये के 20 नोट कुल 10,000/- रूपये मुझ पुलिस निरीक्षक के समक्ष पेश किये जिनके नम्बर निम्न प्रकार है - क्र.स. नोटों का विवरण नम्बर 1 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 FV 413181 2 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 DC 667845 3 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 FM 803188 4 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 1 PE

796559 5 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 MB 002966 6 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 FT 104160 7 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 2 EA 260450 8 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 6 FG 317379 9 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 KC 048464 10 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 9 TG 671600 11 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 HC 826998 12 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 GM 151056 13 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 3 MD 956751 14 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 AV 566836 15 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 AV 566837 16 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 7 UC 047875 17 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 4 PQ 369786 18 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 UB 405441 19 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 0 RC 501636 20 एक नोट भारतीय मुद्रा का पांच सौ रूपये का नम्बरी 5 MA 198050 रूबरू गवाहन श्री हसंराज मुख्य आरक्षक से मालखाना हाजा में से फिनॉलफथलीन पाउडर व सोडियम कार्बोनेट पाउडर मंगवाकर निर्देशित कर उक्त प्रस्तुत भारतीय मुद्रा के सभी नोटों पर फिनॉलफथलीन पाउडर इस प्रकार लगवाया कि नोटो पर पाउडर की मौजूदगी प्रभावी व अदृश्य रहे। उसके बाद गवाह अनिल कुमार सोनी सूचना सहायक से परिवादी की जामा तलाशी करवाकर उसके पास पहने कपड़ों के अलावा मोबाईल को छोडकर कुछ भी नहीं रहने देकर उक्त पाउडर लगे नम्बरी 10,000 रू. श्री हसंराज मुख्य आरक्षक से ही परिवादी के पहनी जिन्स पेंट की पीछे की दांयी साईड की जेब में सावधानी पुर्वक रखवाये एवं निर्देश दिये कि वह आरोपित की मांग से पूर्व सुपुर्द राशि के हाथ नहीं लगाये तथा उनके मांगने पर ही रिश्वत राशि अपनी जेब से निकालकर आरोपित को देवें एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त करने के पश्चात इत्मीनान से ट्रेप पार्टी को देखते हुए अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर ईशारा करें। यदि ईशारा करने का मौका नही मिले तो मोबाईल से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल न. [redacted] पर मिस कॉल/कॉल करे। गवाहन को भी यथा सम्भव मौका पर सम्भावित रिश्वत राशि लेन देन को नजदीक से देखने व आरोपी व परिवादी के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने के प्रयास करने का कहा गया। फिर एक पानी भरे डिस्पोजल के गिलास में सोडियम कार्बोनेट पाउडर का रंगहीन घोल बनवाया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा फिर उसमे श्री हसंराज मुख्य आरक्षक के दोनो हाथों की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया तो घोल गुलाबी हो गया। इस पर हाजरीन को घोल गुलाबी होने का कारण बताकर उसकी महत्वता व उपयोगिता एवं परिणाम के बारे में भली भान्ति समझाया गया। बाद समझाईष प्रदर्शन घोल को श्री हसंराज मुख्य आरक्षक से नाली में फिंकवाकर डिस्पोजल गिलास व अखबार जिस पर रखकर नोटों पर पाउडर लगाने की कार्यवाही की गयी, को जलाकर नष्ट किया गया तथा बचे हुए फिनॉलफथलीन पाउडर की डिब्बी को वापस मालखाना में रखवाया तथा समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यों के हाथों को साबुन पानी से साफ धुलाया गया। सोडियम कार्बोनेट पाउडर अग्रिम कार्यवाही हेतु ट्रेप सामग्री में साथ लिया गया। तत्पश्चात कार्यालय का डिजिटल वाईस रिकॉर्डर मय मैमोरीकार्ड सहित परिवादी श्री गोपाल सिह सोलंकी को रिश्वत लेन देन के समय की वार्ता रिकॉर्ड करने हेतु दिया जाकर हिदायत मुनासिब की गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पृथक से मुर्तिब कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।समय 12.05 पीएम पर ट्रेप से पूर्व की कार्यवाही पूर्ण कर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री गोपाल सिह सोलंकी, स्वतंत्र गवाह श्री संदीप कुमार भाटी, श्री अनिल कुमार सोनी, श्रीमती शालू बिश्नोई पुलिस निरीक्षक, श्री खियांराम सउनि., श्री संदीप मुख्य आरक्षक, श्री विनय विशाल कानि., श्री रामजस कानि0, श्री विजय प्रसाद कानि0, श्री वरूण कुमार कानि0, श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि., श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक को परिवादी व ट्रेप कार्यवाही के तथ्यों से अवगत करवाया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी श्री गोपाल सिह सोलंकी, स्वतंत्र गवाह श्री संदीप कुमार भाटी, श्री अनिल कुमार सोनी, श्रीमती शालू बिश्नोई पुलिस निरीक्षक, श्री खियांराम सउनि., श्री रामजस कानि0, श्री विजय प्रसाद कानि0, श्री वरूण कुमार कानि0, श्रीमती गुरप्रीत कौर म.कानि., श्री अमन कुमार कनिष्ठ सहायक मय लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रेप बाक्स, मय आवश्यक अनुसंधान सामग्री मय आज दिनांक 10.07.2025 को मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता किया हुआ डी.वी.आर. हमराह लेकर निजि वाहनों से व परिवादी श्री गोपाल सिह सोलंकी व विनय विशाल कानि. व श्री संदीप मुख्य आरक्षक को परिवादी की निजी कार से ब्यूरो कार्यालय से एम.डी. कॉलेज ऑफ एज्यूकेषन हनुमानगढ़ की तरफ रवाना हुए। श्री हसंराज मुख्य आरक्षक को ब्यूरो कार्यालय में ही आवश्यक हिदायत कर छोड़ा गया। समय 12.18 पीएम पर उपरोक्त फिकरा का रवानाशुदा एमडी कॉलेज आफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ के पास पहुंचा, परिवादी को आरोपी से संपर्क करने हेतु एमडी कॉलेज आफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ की तरफ रवाना कर ट्रेप जाल बिछाया गया। वक्त 12.23 पीएम पर परिवादी श्री गोपाल सिह सोलंकी द्वारा जरिये वॉटसअप कॉल मन् पुलिस निरीक्षक को निर्धारित ईशारा करने पर मन् पुलिस निरीक्षक ने तुरन्त दोनो स्वंतत्र गवाहन व ब्यूरो स्टाफ को साथ लेकर एमडी कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ जक्शंन में पहुंचा परिसर में बनी बिल्डिग के गेट पर के पास परिवादी खड़ा मिला जिसने जिससे डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्राप्त कर बंद किया परिवादी ने बताया की पंकज छाबड़ा प्रिसिपंल ने मेरे से रूपये ले लिये है और अपने पास रख लिये है जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय परिवादी गोपाल सिह सोलंकी व हमराहीयान को साथ लेकर कॉलेज परिसर में बनी बिल्डिंग में प्रवेश किया तो वहां बच्चे खड़े थे फिर बांयी साईड के रूम में प्रवेश किया जहां पर रखी कुर्सीयों पर दो व्यक्ति बैठे

थे जिनमें से लाईनदार शर्ट पहने हट्टे-कट्टे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया की ये पंकज छाबड़ा प्रिसिपंल है जिन्होने मेरे से रिश्वत के 10 हजार रूपये मांग कर गिनकर प्राप्त किये है, जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना व हमराहीयान का परिचय देकर लाईनदार शर्ट पहने व्यक्ति से उनका नाम पता पूछा तो पंकज छाबड़ा पुत्र श्री देवाराम जाति-अरोड़ा उम्र-35 वर्ष निवासी मकान नंबर 02/97 आरएचबी कॉलोनी हनुमानगढ़ जक्शंन हाल क्लर्क कम मैनेजमेंट फैकल्टी, एमडी कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ जक्शंन होना बताया व पास बैठे दूसरे व्यक्ति जिसने हल्के नीले रंग की चैकदार शर्ट पहनी है उसने अपना नाम रौनक विजय पुत्र श्री सुरेश विजय, जाति-अग्रवाल उम्र-36 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 12 भट्टा कॉलोनी हनुमानगढ़ हाल निवास आगरा रोड़, बंसत विहार मकान नंबर 07, जयपुर हाल मैनेजमेंट सदस्य बैबी हैप्पी मॉर्डन पीजी कॉलेज हनुमानगढ़ जक्शंन होना बताया। पंकज छाबड़ा से परिवादी श्री गोपाल सिंह सोलंकी से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछा तो पंकज छाबड़ा ने बताया की हमने इनसे कोई रूपये नहीं लिये है फिर पंकज छाबड़ा के दोनो हाथ विजय प्रसाद कानि. व रामजस कानि. से पकड़वाये गये उसकी जेबो को चैक किया तो उसमें सो-सौ रूपये, दो-दो सौ रूपये व पांच-पांच सौ रूपये के नोटो की थैई मिली जिसे निकलवाकर दोनो स्वतंत्र गवाहों से चैक करवाया तो एक सौ-एक सौ रूपये के 73 नोट, दो-दो सौ रूपये के 53 नोट व पांच-पांच सौ रूपये के 80 नोट कुल 57900/-रूपये थे जिनका मिलान हेतु फर्द सुपुर्दगी देकर नोट गवाहो को देकर मिलान करनें हेतु कहा तो उन्होने कहा की पांच-पांच सौ रूपये के नोटों के नबंर फर्द सुपुर्दगी में अंकित नोटो के नंबरों से नहीं मिल रहे है, इस पर पास बैठे व्यक्ति रौनक विजय ने खुद ही परिवादी की तरफ ईशारा कर बताया की अभी थोड़ी देर पहले ये आये थे जिनमे श्री पंकज छाबड़ा ने रूपये लेकर गिने थे फिर इन्होने गिनकर अपने पास रखे फिर इनके जाने के बाद पंकज छाबड़ा ने मुझे कहा की एक बार आप ये रूपये अपने पास रख लो मैं परीक्षा कक्ष में जाकर आ रहा हूं बाद में आपसे वापिस ले लूंगा, ये रूपये किस चीज के है मुझे नही पता है, पंकज छाबड़ा को मैं कॉलेज मैनजमेंट के सदस्य होने के नाते जानता हूं आज मैं अपने परिचित श्री परमानंद सैनी जो हमारे कॉलेज में व्याख्याता है उनके साथ इस कॉलेज में आया था वे बच्चों की प्रायोगिक परीक्षा ले रहे थे जिस कारण मैं पकंज छाबड़ा के पास बैठा था मुझे पकंज छाबड़ा ने जो रूपये दिये थे वो रूपये मेरी पहनी पेंट की बांयी साईड की जेब में रख लिये थे जो मेरे पास ही है इस पर गवाह श्री संदीप कुमार भाटी से रौनक विजय के पहनी पेंट की बांयी साईड की जेब को चैक करवाया तो उसमें पांच-पांच सौ रूपये के नोटो की थैई निकली जिसे गिना गया तो दस हजार रूपये होना बताया फिर गवाह श्री अनिल कुमार सोनी को फर्द सुपुर्दगी नोट देकर अंकित नोटो के नंबरो का मिलान बरामदा नोटो का मिलान करवाया तो प्राप्त नोट हुबहू पाये गये जिनके नोटों का फर्द में अंकित किये गये। उक्त बरामदा नोटों को सुरक्षार्थ गवाह श्री संदीप कुमार भाटी को संभलाये गये। ट्रेप कार्यवाही के क्रम में दो डिस्पोजल साफ गिलासो में साफ पानी भरकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसकी ताईद गवाहन द्वारा करने पर एक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री पंकज छाबड़ा के दाहीने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क R-1, R-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री पंकज छाबड़ा के बायें हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क L-1, L-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। रिश्वत राशि रौनक विजय की पहनी पेंट से बरामद हुई है, इस कारण रौनक विजय के हाथों की धुलवाई आवश्यक होने के कारण दो डिस्पोजल साफ गिलासो में साफ पानी भरकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा जिसकी ताईद गवाहन द्वारा करने पर एक गिलास के रंगहीन घोल में रौनक विजय के दाहीने हाथ की अंगूलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग मटमैला प्राप्त हुआ। डिस्पोजल गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क RR-1, RR-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में रौनक विजय के बायें हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी प्राप्त हुआ। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सीलचिट बंद कर मार्क RL-1, RL-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशियों को कब्जा में लिया गया। रिश्वत राशि सुरक्षार्थ श्री संदीप कुमार भाटी स्वतंत्र गवाह के पास है, रिश्वत राशि 10000/-रूपये को एक कपड़े के टुकड़े में मील चिट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर वास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। रिश्वत राशि रौनक विजय की पहनी पेन्ट बंरग नीली की आगे की बांयी साईड की जेब से बरामद हुई है, पेन्ट की जेब की धुलवाई करवायी जाना आवश्यक होने से एक साफ डिस्पोजल के गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जिसका रंग अपरिवर्तित रहा, जिसकी ताईद गवाहान द्वारा करने पर रौनक विजय के लिए अन्य पेंट की व्यवस्था करवाकर उन्हे पहनने को दिया जाकर पहनी हुई पेन्ट को उतरवाकर उसकी बांयी साईड की जेब का उल्टवाकर उक्त तैयार घोल में डूबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त हुआ, जिसे मौके पर दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर मौके पर सिल मोहर चिट कर मार्का P-1, P-2 अंकित कर वास्ते वजह सबूत कब्जा

पुलिस लिया गया। फिर उक्त पेन्ट को सुखाकर एक कपड़े की थैली में डालकर कपड़े की थैली को मौके पर सील मोहर चीट कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर बास्ते वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी पंकज छाबड़ा से उसके प्रिसिपंल के सबंध में दस्तावेजों के बारे में पूछा गया तो उसने बताया की मेरे पास कोई लिखित में आदेश नहीं है मैं मैनेजमेंट का सारा काम देखता हूं मुझे केश में ही सैलरी मिलती है, परिवादी की पुत्री से संबंधी बकाया फीस के संबंध में बताया की उनकी कोई फीस बकाया नहीं है, आरोपी श्री पंकज छाबड़ा से परिवादी गोपालसिह सोलंकी से ली गई रिश्वत राशि के संबंध में पूछने पर बताया की यह राशि जब कोई बच्चा दो साल रेग्यूलर नहीं आता है तो उसकी उपस्थिति पूरी करने व प्रायोगिक परीक्षाओं में अच्छे नंबर दिलवाने की एवज में प्रति छात्र 50 हजार रूपये लेते है तथा गोपालसिह सोलंकी से उसकी पुत्री मोनिका कंवर के लिए 30 हजार रूपये तय किये थे, उसमें से 18 हजार रूपये पहले ले लिये थे 12 हजार रूपये शेष थे जिसमें से दो हजार रूपये आज सुबह लिये थे व शेष 10 हजार रूपये थे वो ही लिये थे, जिन्हे मैंने प्रायोगिक परीक्षा कक्ष में जाने से पहले रौनक विजय को दिये थे इतने मै ही आप आ गये थे, रौनक विजय को इन रिश्वत संबंधी पैसो के बारे में कुछ भी पता नही था। आरोपी पंकज छाबड़ा से परिवादी की पुत्री से संबधित दस्तावेज व फीस के सबंध में पूछा गया तो उसके द्वारा परिवादी की पुत्री मोनिका कंवर के एडमिशन फार्म को पेश किया जिसे बाद अवलोकन संबधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया, फिर उनके द्वारा एक रजिस्टर दिया गया जो जिसमें शुरू में एक लिस्ट लगी हुई है जिसके क्रम संख्या 44 पर मोनिका कंवर पुत्री गोपालसिह सोलंकी का नाम है, फिर 44 नंबर के पेज को खोलकर देखा तो उसमें परिवादी की पुत्री की फोटो लगी हुई है व 500/29.08.23, 3500/26.02.2024, 4500/26.02.24, 27500/25.06.24, 5000/13.11.24, 5000/12.02.24, 10000/10.07.25 और निल नो पेण्ड़िग लिखा हुआ है उक्त रजिस्टर के उक्त पेज पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर उक्त रजिस्टर को कब्जा पुलिस लिया गया। फिर आरोपी से परिवादी की पुत्री मोनिका कंवर के फीस से संबधी डिटेल पूछी तो उसने मोनिका कवंर की फीस संबंधी चालान की कॉपी दी जिस पर 27400/- दिनांक 25.06.2024 की एन्ट्री है, फिर परिवादी की पुत्री मोनिका कवंर से संबंधित एक्जाम फार्म व आनलाईन एक्जाम वर्क की कॉपी पेश की चालान की कापी, संबधित एक्जाम फार्म व आनलाईन एक्जाम वर्क पर संबंधित के हस्ताक्षकर करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया। मौके पर मिले एक सौ-एक सौ रूपये के 73 नोट, दो-दो सौ रूपये के 53 नोट व पांच-पांच सौ रूपये के 80 नोट कुल 57900/-रूपये के संबंध में आरोपी पंकज छाबड़ा से पूछने पर यह दो बच्चो की फिस के नकद रूपये है जिनका नाम पूछने पर एक का नाम बिन्दु पुत्री मनीराम जिसकी 27000/-रूपये व दूसरा कन्हैया लाल जिसके 25000/-रूपये है व इसमें पांच हजार रूपये मेरे खुद के है, फीस की रसीद के सबंध में पूछने पर कहा की अभी तक रसीद नहीं काटी है, इस संबंध में मन् पुलिस निरीक्षक ने बी.एड़ प्रथम वर्ष के रजिस्टर में से बिन्दु व कन्हैयालाल के नंबर लेकर बिन्दु के मोबाईल नंबर [redacted] पर जरिये मोबाईल वार्ता की तो उसने कहा की मेरी बीएड द्वितीय वर्ष की फीस अभी पेण्ड़िग है मैने आज कोई फीस जमा नहीं करवायी है, फिर मन् पुलिस निरीक्षक ने कन्हैयालाल के मोबाईल नंबर [redacted] पर जरिये मोबाईल वार्ता की तो उसने कहा की मेरी फीस बीएड द्वितीय वर्ष की अभी पेण्ड़िग है मैने आज कोई फीस जमा नहीं करवायी है अतः उक्त राशि संदिग्ध मानते हुए उक्त राशि को कब्जा पुलिस लिया गया। उक्त राशि के संबंध में पुनः आरोपी पंकज छाबड़ा से पूछने पर आरोपी ने बताया की यह संपूर्ण राशि छात्रो की उपस्थिति पूरी करने की एवज में मेरे द्वारा ली गई एडजस्ट राशि है। आरोपी सैं फीस की रसीदो के संबंध में पूछा गया तो उसके द्वारा एमडी कॉलेज आफ एज्युकेषन बी.एड ii 2025-26 की एक रसीद बुक जो 1101 से 1200 तक है जिसमें 1192 तक भरी हुई शेष खाली है जिसमें कुछ रसीदों की मूल व ज्यादातर की कार्यालय प्रति है कुछ भरी हुई रसीदों पर प्राचार्य की सील पर हस्ताक्षर है जिसके संबंध में पंकज छाबड़ा ने उन्हे अपने हस्ताक्षर होना बताया लास्ट रसीद संख्या 1192 पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया। मौके पर कमरे में मेज पर दो लिस्ट मिली थी एक पर बी.एड i जिसमें 21 छात्रो के नाम उनके पिता व माता के नाम व आगे 2000 लिखा हुआ है जिसकी दूसरी तरफ शीला कुमारी रोट का एडमिशन कार्ड जिस पर प्राचार्य संस्कार इन्टरनेशनल महिला शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय हनुमानगढ़ जक्शंन की मोहर व हस्ताक्षर है व दूसरी लिस्ट जिसमें बी.एड. ii जिसमें 47 छात्रो के नाम उनके पिता व माता के नाम व आगे 2000 लिखा हुआ है एक लिस्ट जिसकी दूसरी तरफ सिलोचना का एडमिशन कार्ड जिस पर प्राचार्य संस्कार इन्टरनेशनल महिला शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय हनुमानगढ़ जक्शंन की मोहर व हस्ताक्षर व दूसरी लिस्ट जिसकी दूसरी तरफ शिवानी का एडमिशन कार्ड जिस पर प्राचार्य संस्कार इन्टरनेशनल महिला शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय हनुमानगढ़ जक्शंन की मोहर व हस्ताक्षर है। उक्त दोनो लिस्टो पर लिखे हुए 2000/- के संबंध में आरोपी पंकज छाबड़ा से पूछा गया तो आरोपी ने बताया की ये प्रायोगिक परीक्षा के नाम से छात्रों से 2000-2000/-रूपये लेते है यह उनकी ही लिस्ट है और ये रूपये किन्हे देते हो तो बताया की ये रूपये अपने पास ही रखते है। उक्त दोनो लिस्टो पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा पुलिस लिया गया। मौके पर तलविदा भीकमचंद बघेल उपस्थित आये जिन्होने पूछने पर बताया कि एमडी कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन कि शिक्षा समिति का मैं पिछले करीब 5-6 साल से सदस्य हूं , लगभग 4-6 महिने से कॉलेज में शिक्षा समिति की मिटींग होती है जिसमें शिक्षा समिति के लगभग 15 सदस्य भाग लेते है जिसमें मैं भी शामिल होता हूं, मैं पंकज छाबड़ा०० को जानता हूं जो यहां पिछले करीब 3 साल से क्लर्क के पद पर कार्यरत है तथा कॉलेज का कार्यालय, प्रबंधन,छात्र फीस, दस्तावेज संबंधी समस्त कार्य यही पंकज छाबड़ा ही करते है तथा शिक्षा

समिति की सभी मिटिंग में पंकज छाबडा भी उपस्थित होते है। उपरोक्त कार्यवाही में आरोपी के हाथों की धुलाई एवं रिश्वत राशि बरामदगी तथा परिवादी व आरोपी से पूछताछ का सरकारी विडियो कैमरा से जरिये अमन क.सहायक से विडियो क्लीप तैयार करवायी गई। वक्त 07.15 पीएम पर नमूना सील तैयार की गई। समय 07.30 पीएम पर घटनास्थल एमडी कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ में ट्रेप कार्यवाही के दौरान मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशन में सरकारी विडियो कैमरा से अमन कुमार कनिष्ठ सहायक द्वारा आरोपी की हाथ धुलाई व रिश्वत राशि बरामदगी तथा आरोपी से पूछताछ की विडियोग्राफी की गई। बरूबरू गवाहान के समक्ष उक्त सरकारी विडियो कैमरा में से मैमोरी कार्ड जिसमें उक्त कार्यवाही की सम्पुर्ण विडियोग्राफी की 5 फाईल है उक्त मैमोरी कार्ड को सरकारी विडियो कैमरा से निकाला गया, उक्त मैमोरी कार्ड Simmtronics कम्पनी का है जिस पर 32 जीबी अंकित है। उक्त मैमोरी कार्ड को कार्यालय हाजा के सरकारी लेपटाप में डाला गया जिसमें 5 फाईल है इसकी दो पैन ड्राईव जिन पर Simmtronics Teeny 8GB अंकित है में मन् पुलिस निरीक्षक ने प्रतिलिपी की। उक्त मूल मैमोरी कार्ड में विडियोग्राफी की 5 फाईल की हैश वैल्यू निकाली गई, मूल मैमोरी कार्ड को लेपटॉप मे निकालकर एक सफेद कागज में लपेट कर प्लास्टिक की डिब्बी में रख कर कपडे की थैली में डालकर शिल्ड मोहर किया गया व एक पैन ड्राईव को उसके कवर में डालकर कपड़े की थैली में डालकर सीलड किया गया व एक पैन ड्राईव खुला रखा गया। फर्द मुर्तिब किया गया। वक्त 08.10 पीएम पर कार्यवाही के दौरान आरोपी पंकज छाबड़ा को जरिये फर्द हस्बकायदा गिरफ्तार किया गया। समय 08.50 पीएम पर सम्पूर्ण पूछताछ से श्री रौनक विजय पुत्र श्री सुरेश विजय, जाति-अग्रवाल उम्र-36 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 12 भट्टा कॉलोनी हनुमानगढ़ हाल निवास आगरा रोड़, बंसत विहार मकान नंबर 07, जयपुर हाल मैनेजमेंट सदस्य बैबी हैप्पी मॉर्डन पीजी कॉलेज हनुमानगढ़ जक्षंन की प्रकरण में संलिप्तता नहीं पाये जाने के कारण बाद पूछताछ श्री रौनक विजय को आवश्यक हिदायत देकर रवाना किया गया। श्री रौनक विजय की संदिग्ध भूमिका के संबंध में अनुसंधान से स्थिति स्पष्ट की जायेगी। समय 09.00 पीएम पर श्री खियांराम सउनि., श्री रामजस कानि., श्री अमन कुमार क.स. व श्री ओमप्रकाष कानि. ड्रा. को श्रीमान् एम.ओ. साहब राजकीय चिकित्सालय हनुमानगढ़ के नाम से पत्र जारी कर सुपुर्द कर गिरफ्तारशुदा आरोपी श्री पंकज छाबड़ा क्लर्क कम मैनेजमेंट फैकल्टी एमडी कॉलेज ऑफ एज्युकेशन हनुमानगढ़ जक्शंन को सुपुर्द कर आरोपी का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त कर लाने व रात्रि सुरक्षा हेतु पुलिस थाना हनुमानगढ़ जक्शंन में जमा हवालात करवाने के निर्देश देकर रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी गोपाल सिंह सोलंकी, दोनो गवाहन व ब्यूरो स्टाफ मय कार्यवाही में जब्तशुदा माल-वजह सबूत सील्डशुदा दस धोवन की शिशियां, सील्डशुदा रिश्वत राशि 10000/-रूपये, सील्डशुदा आरोपी की पेंट की थैली, सील्डशुदा कपड़े की थैली जिसमें विडियो ग्राफी का मूल मैमोरी कार्ड व सील्ड कपड़े की थैली जिसमें विडियोग्राफी का पैन ड्राईव व एक खुला पैन ड्राईव, जब्तशुदा 57900/-रूपये, परिवादी की पुत्री से संबंधित दस्तावेज, रजिस्टर, मांग सत्यापन व रिश्वत लेनदेन वार्ता का डीवीआर, ट्रेप बाक्स, लेपटॉप-प्रिन्टर व अन्य ट्रेपसामग्री के मौके से ब्यूरो कार्यालय के लिए रवाना हुआ। समय 09.05 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक दोनो गवाहन व ब्यूरो स्टाफ मय कार्यवाही में जब्तशुदा माल-वजह सबूत सहित ब्यूरो कार्यालय में पहुंचा व श्री हसंराज मुख्य आरक्षक मालखाना प्रभारी को कार्यवाही में जब्तशुदा माल-वजह सबूत सील्डशुदा दस धोवन की शिशियां, सील्डशुदा रिश्वत राशि 10000/-रूपये, सील्डशुदा आरोपी की पेंट की थैली, सील्डशुदा कपड़े की थैली जिसमें विडियो ग्राफी का मूल मैमोरी कार्ड व सील्ड कपड़े की थैली जिसमें विडियोग्राफी का पैन ड्राईव व एक खुला पैन ड्राईव, जब्तशुदा 57900/-रूपये, परिवादी की पुत्री से संबंधित दस्तावेज, रजिस्टर मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर सुरक्षित मालखाना में रखने हेतु निर्देश दिये जाकर संभलाये गये। समय 09.10 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास दिनांक 10.07.2025 को हुई रिश्वत मांग सत्यापन से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की गई। समय 10.25 पीएम पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 10.07.2025 की वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की फाईल 250710_0802 है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए दो खाली नई पैन ड्राईव 8 जीबी की मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त वार्ता को दो अलग-अलग 8 जीबी के पैन ड्राईव मे कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई उन्हे मार्क ए-1, मार्क ए-2 दिया गया, उक्त पैन ड्राईव मार्क ए-1, ए-2 की हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1- ca5818ed674e84b0ce616280f811a35a5040d7dc है। पैन ड्राईव उनमें से एक पैन ड्राईव मार्क-ए-1 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर पैन ड्राईव को कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर थैली को सीलड किया जाकर थैली पर मार्क ए-1 अंकित कर उस पर हैश वैल्यू अंकित की गई व दूसरे पैन ड्राईव मार्क ए-2 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया,डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड दो फाईल है जिसमें से दिनांक 10.07.2025 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल 2250710_0802 है, जिसकी हैश वैल्यू निकाली गई, मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाल कर उसके कवर में डालकर स्टेपल कर मूल मैमोरी कार्ड कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क A देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये, फर्द मुर्तिब की गई। समय 10.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के पास दिनांक 10.07.2025 को हुई रिश्वत लेन देन से संबंधित डी.वी.आर. सुरक्षित है जिसे कार्यालय के लैपटॉप में लगाकर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करना शुरू की

गई। समय 10.55 पीएम पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार की गई। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड में दिनांक 10.07.2025 की वक्त रिश्वत लेनदेन रिकॉर्ड वार्ता की फाईल 250710_1220_01 है, उक्त रिकॉर्डवार्ता के लिए दो खाली नई पैन ड्राईव 8 जीबी की मंगवाकर उनका खाली होना सुनिश्चित कर लेपटॉप के जरिये मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त वार्ता को दो अलग-अलग 8 जीबी के पैन ड्राईव मे कॉपी करके पेस्ट कर सुरक्षित (सेव) की गई उन्हे मार्क बी-1, मार्क बी-2 दिया गया, उक्त पैन ड्राईव मार्क बी-1, बी-2 की हैश वैल्यू निकाली गई जो SHA1-9e0ed7b4e84ae48304b6c594c509269b97a52cf8 है। पैन ड्राईव उनमें से एक पैन ड्राईव मार्क-बी-1 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर पैन ड्राईव को कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर थैली को सील्ड किया जाकर थैली पर मार्क बी-1 अंकित कर उस पर हैश वैल्यू अंकित की गई व दूसरे पैन ड्राईव मार्क बी-2 को उसके कवर में डालकर स्टेपल कर अनुसंधान अधिकारी हेतु सुरक्षित रखा गया, डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में स्थापित मैमोरी कार्ड दो फाईल है जिसमें से दिनांक 10.07.2025 को वक्त रिश्वत लेनदेन रिकॉर्ड वार्ता की एक ऑडियो फाईल 250710_1220_01 है, जिसकी हैश वैल्यू निकाली गई, मैमोरी कार्ड को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर से बाहर निकाल कर उसके कवर में डालकर स्टेपल कर मूल मैमोरी कार्ड कवर सहित कपड़े की थैली में डालकर सीलचिट कर मार्क B देकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये, फर्द मुर्तिब की गई। तत्पष्चात कार्यवाही के दौरान काम में ली गई पीतल की सील को रूबरू गवाहन नष्ट कर फर्द नष्टीकरण मुर्तिब की गई। समय 11.15 पीएम पर श्री हसंराज मुख्य आरक्षक को रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता का सील्डशुदा मूल मैमोरी कार्ड, व सील्डशुदा पैनड्राईव व एक खुला पैन ड्राईव व रिश्वत लेन देन वार्ता का सील्डशुदा मूल मैमोरी कार्ड, व सील्डशुदा पैनड्राईव व एक खुला पैन ड्राईव सुपुर्द कर इनका मालखाना रजिस्टर में इन्द्राज कर सुरक्षित मालखाना में रखने हेतु निर्देश दिये जाकर संभलाये गये। अब तक कि ट्रेप से संबंधित कार्यवाही संपूर्ण हो चुकी है। परिवादी श्री गोपाल सिह सोलंकी व स्वतंत्र गवाह संदीप कुमार भाटी व श्री अनिल कुमार सोनी को आवश्यक हिदायत कर रवाना किया। आरोपी श्री पंकज छाबड़ा क्लर्क कम मैनेजमेंट फैकल्टी एमडी कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ जक्शंन की मेडिकल परीक्षण रिपोर्ट व वास्ते रात्रि सुरक्षा हेतु पुलिस थाना हनुमानगढ़ जक्शंन की हवालात में जमा करवाने की रसीद प्राप्त की गई। इस प्रकार परिवादी श्री गोपाल सिह सोलंकी पुत्र श्री जीवन सिह सोलंकी उम्र-42 वर्ष जाति राजपूत निवासी चक असरासर तहसील लूनकरणसर जिला बीकानेर के लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 09.07.2025 में अंकित तथ्यों एंव मजमून दरियाफ्त के आधार पर दिनांक 10.07.2025 को करवाये गये सत्यापन से परिवादी गोपाल सिह सोलंकी से आरोपी पंकज छाबड़ा द्वारा 17500/-रूपये रिश्वत की मांग की परिवादी गोपालसिह सोलंकी द्वारा कुछ कम करने का कहने पर 12500/-रूपये मांगे और परिवादी गोपालसिह सोलंकी से 2000/-रूपये ले लिये व 10000/-रूपये ओर रिश्वत की मांग के तथ्य रिकॉर्ड पर आने व दिनांक 10.07.2025 को वक्त रिश्वत लेन देन आरोपी श्री पंकज छाबड़ा क्लर्क कम मैनेजमेंट फैकल्टी एमडी कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ जक्शंन द्वारा परिवादी श्री गोपाल सिह सोलंकी से 10000/-रूपये रिश्वत लेकर गिनकर अपने पास रखी व परिवादी के बाहर जाने पर अपने पास बैठे रौनक विजय को दे दी जिसने अपनी जेब में रखी जहां से बरामद की गई, आरोपी के दोनो हाथों की धुलवाई से प्राप्त धोवन गुलाबी व रौनक विजय के हाथो का रंग मटमैला व हल्का गुलाबी व पेटं की जेब के धोवन का रंग गुलाबी प्राप्त होने एंव वक्त रिश्वत लेन देन रिकॉर्ड वार्ता में आरोपी पंकज छाबड़ा द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि होने व मौके पर आरोपी पंकज छाबड़ा के कब्जे से बीएड के छात्रो की प्रायोगिक परीक्षा से संबंधित लिस्ट व जिसमें 2000/-रू. की एन्ट्री पायी जाने व रौनक विजय से रिश्वत राशि बरामद होने, मौके पर उपस्थिति का कोई स्पष्ट कारण नहीं होने,रौनक विजय का प्रायोगिक परीक्षा लेने वाले पर्यवेक्षक परमानंद सैनी के साथ कॉलेज आना, रिश्वत राशि स्वंय के कब्जे में होने के बारे में विलम्ब से बताने के कारण रौनक विजय द्वारा आरोपी पंकज छाबड़ा का रिश्वत प्राप्त करने में सहयोग करना पाया गया है व प्रायोगिक परीक्षा पर्यवेक्षक की प्रकरण में भूमिका के संबंध में अनुसंधान के पश्चात ही स्थिति स्पष्ट होने आदि तथ्यों के आधार पर आरोपी पंकज छाबड़ा पुत्र क्लर्क कम मैनेजमेंट फैकल्टी एमडी कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ जक्शंन द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अपने पद का दुरूपयोग कर अपनी पदीय स्थिति के तहत भ्रष्ट आचरण कर परिवादी से रिश्वत प्राप्त कर श्री रौनक विजय को दी गई, जिससे रिश्वत राशि बरामद की गई व प्रायोगिक परीक्षा पर्यवेक्षक की प्रकरण में भूमिका के संबंध में अनुसंधान से ही पूर्ण स्थिति स्पष्ट होने आदि तथ्यों से आरोपी श्री पंकज छाबड़ा पुत्र श्री देवाराम जाति-अरोड़ा उम्र-35 वर्ष निवासी मकान नंबर 02/97 आरएचबी कॉलोनी हनुमानगढ़ जक्शंन हाल क्लर्क कम मैनेजमेंट फैकल्टी एमडी कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ जक्शंन व श्री रौनक विजय पुत्र श्री सुरेश विजय, जाति-अग्रवाल उम्र-36 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 12 भट्टा कॉलोनी हनुमानगढ़ हाल निवास आगरा रोड़, बंसत विहार मकान नंबर 07, जयपुर हाल मैनेजमेंट सदस्य बैबी हैप्पी मॉर्डन पीजी कॉलेज हनुमानगढ़ जक्शंन के विरूद्ध जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध घटित होना पाया गया है। अतः श्री पंकज छाबड़ा पुत्र श्री देवाराम जाति-अरोड़ा उम्र-35 वर्ष निवासी मकान नंबर 02/97 आरएचबी कॉलोनी हनुमानगढ़ जक्शंन हाल क्लर्क कम मैनेजमेंट फैकल्टी एमडी कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ जक्शंन व श्री रौनक विजय पुत्र श्री सुरेश विजय, जाति-अग्रवाल उम्र-36 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 12 भट्टा कॉलोनी हनुमानगढ़ हाल निवास आगरा रोड़, बंसत विहार मकान नंबर 07, जयपुर हाल मैनेजमेंट सदस्य बैबी हैप्पी मॉर्डन पीजी कॉलेज हनुमानगढ़ जक्शंन के विरूद्ध

वर्णित उक्त धारा में अभियोग पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर श्रीमान महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर की सेवा में प्रेषित है। राजेन्द्र सिह पुलिस निरीक्षक भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़ .... कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेन्द्र सिह, पुलिस निरीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, हनुमानगढ़ ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7,7ए,12 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1-श्री पंकज छाबड़ा पुत्र श्री देवाराम जाति-अरोड़ा उम्र-35 वर्ष निवासी मकान नंबर 02/97 आरएचबी कॉलोनी हनुमानगढ़ जक्शंन हाल क्लर्क कम मैनेजमेंट फैकल्टी एमडी कॉलेज ऑफ एज्यूकेशन हनुमानगढ़ जक्शंन 2- श्री रौनक विजय पुत्र श्री सुरेश विजय, जाति-अग्रवाल उम्र-36 वर्ष निवासी वार्ड नंबर 12 भट्टा कॉलोनी हनुमानगढ़ हाल निवास आगरा रोड़, बंसत विहार मकान नंबर 07, जयपुर हाल मैनेजमेंट सदस्य बैबी हैप्पी मॉर्डन पीजी कॉलेज हनुमानगढ़ जक्शंन के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमति वन्दना भाटी , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस यू अजमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रपट रोजनामचा आम संख्या 231 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1035-38 दिनांक 12.07.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, गंगानगर, 2. उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर तृतीय, जयपुर 3. अध्यक्ष महर्षि दयानन्द शिक्षा समिति हनुमानगढ 4. निदेशक बैबी हैप्पी मॉर्डन पीजी कॉलेज हनुमानगढ़ जक्शंन 5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, हनुमानगढ। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**
or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** Vandana bhati **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/07/2025 20:

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(सें.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1990				
2	Male	1989				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)